राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

क्रमांकःएफ.4(220)प्रा. शि./एमडीईएम/दिशा–निर्देश/2016/ **जयपुर, दिनांकः**

जिला कलक्टर
समस्त जिला।

विषयः–प्रधानमंत्री पोषण (मिड–डे मील) योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के मैन्यू की Wall Painting (दीवार पर अंकन) तथा पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री पोषण (मिड–डे मील) योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर एवं शैक्षिक उपस्थिति में सुधार करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं :–

1. साप्ताहिक मेन्यू का अंकन

विभाग द्वारा स्वीकृत साप्ताहिक मेन्यू प्रत्येक विद्यालय की मुख्य दीवार पर पेंट/लिखवाना अनिवार्य है। यह पेंटिंग स्पष्ट, आकर्षक एवं विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए आसानी से पढ़ी जा सकने योग्य हो। निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय भ्रमण के समय इसे प्राथमिकता से देखा जाएगा।

भारत सरकार के आदेशों के तहत ही विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री–प्राइमरी से 8 तक के विद्यार्थियों को **विद्यालय प्रबन्धन समिति/एजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूहों** द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मध्याह्न भोजन में निर्धारित मैन्यू निम्न अनुसार होगा :–

<u>योजनान्तर्गत साप्ताहिक भोजन व्यवस्था</u>

क्र.सं.	वार	भोजन का विवरण
1	सोमवार	रोटी दाल,सब्जी
2	मंगलवार	चावल एवं दाल, सब्जी
3	बुधवार	रोटी दाल, सब्जी
4	गुरूवार	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	शुक्रवार	रोटी दाल, सब्जी
6	शनिवार	रोटी दाल, सब्जी

- इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है।
- सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।

Signature valid
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.15 17:00:21 IST
Reason: Approved

पता :– उपहार कॉम्पलेक्स भवानी सिंह रोड, 22 गोदाम, जयपुर, सम्पर्क ...2701960, 2701694 (टेलीफैक्स)
ई–मेल mdm-rj@nic.in/rajmdm@rediffmail.com

RajKaj Ref No.: 17768862

eSign 1.0

आप अपने जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के मैन्यू की Wall Painting **(दीवार पर अंकन) उपरोक्तानुसार करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें। इस आशय का प्रमाण–पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा से प्राप्त किया जाये कि उसके जिले के समस्त विद्यालयों में उक्त मैन्यू की वॉल पेन्टिंग की गई है एवं विद्यालय द्वारा मैन्यू अनुसार ही भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। निरीक्षण के दौरान उक्त की अनुपालना नहीं पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाये।**

2. भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

भोजन पकाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा पानी पूर्ण रूप से साफ हो, इस हेतु पानी की टंकियों की साफ–सफाई नियमित किया जाना सुनिश्चित करें। भोजन तैयार किये जाने वाले स्थान (रसोईघर) एवं बर्तनों की साफ–सफाई एवं उत्कृष्ट खाद्य सामग्री का ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। **भोजन वितरण से पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित शिक्षक एवं एसएमसी सदस्य/अतिथि माता को अनिवार्य रूप से भोजन चखवाकर गुणवत्ता जाँच करें। भोजन गुणवत्तापूर्ण होने एवं उक्त की स्वीकृति के पश्चात ही भोजन विद्यार्थियों को परोसा जाए।** जाँच की प्रविष्टि "भोजन परीक्षण रजिस्टर" में दर्ज की जाए।

3. 'अतिथि माता' की सहभागिता

प्रत्येक विद्यालय में समय–समय पर विद्यार्थियों की माताओं अथवा महिला अभिभावकों को 'अतिथि माता' के रूप में आमंत्रित किया जाए। **'अतिथि माता'** की उपस्थिति में भोजन वितरण कराया जाए। उन्हें भोजन चखने हेतु दिया जाए तथा उनकी राय को भी दर्ज किया जाए। उनकी उपस्थिति एवं सुझावों का विवरण विद्यालय रजिस्टर में संधारित किया जाए।

4. अभिलेख संधारण

सभी विद्यालयों में निम्न अभिलेख/रजिस्टर संधारित किए जाएँ।
1. साप्ताहिक मेन्यू रजिस्टर
2. भोजन परीक्षण रजिस्टर (शिक्षक द्वारा)
3. अतिथि माता उपस्थिति एवं सुझाव रजिस्टर

उपरोक्त अभिलेख नियमित रूप से अद्यतन किए जाएँ।

5. निगरानी एवं उत्तरदायित्व

जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की प्रत्येक विद्यालय में शत–प्रतिशत पालना हो। संबंधित शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय स्तर पर समय–समय पर निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह जिला स्तर पर संकलित कर विभाग को प्रेषित की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई पाए जाने पर संबंधित कार्मिक/अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जाए।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की पालना प्रत्येक विद्यालय में तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signature valid
(विश्व मोहन शर्मा)
आयुक्त
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.15 17:00:21 IST
Reason: Approved

पता :– उपहार कॉम्पलेक्स भवानी सिंह रोड, 22 गोदाम, जयपुर, सम्पर्क : 0141 – 2701060, 2701694 (टेलीफैक्स)
ई–मेल mdm-rj@nic.in/rajmdm@rediffmail.com
RajKaj Ref No.: 17768862

eSign 1.0

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली एवं चूरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक(मुख्यालय) शिक्षा, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि अपने जिले के समस्त विद्यालयों में उपरोक्तानुसार मैटेरियल कॉस्ट एवं मैन्यू का दीवार पर अंकन कराये जाने की सुनिश्चितता करावें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त(क्रि. एवं मो.)
मिड डे मील

EDUCATION NEWS GROUP
EDU. NEWS GROUP

Signature valid
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.15 17:00:21 IST
Reason: Approved

पता :– उपहार कॉम्पलेक्स भवानी सिंह रोड, 22 गोदाम, जयपुर, सम्पर्क : 0141 – 2701060, 2701694 (टेली. फैक्स)
ई–मेल mdm-rj@nic.in / rajmdm@rediffmail.com

RajKaj Ref No.: 17768862

eSign 1.0

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड–डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

क्रमांकःएफ.4 (220)**प्रा.शि. / एमडीएम / दिशा–निर्देश /** 2016 / **दिनांकः**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

जैसा कि आपको विदित है कि पी.एम. पोषण (मिड डे मील) योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है जो बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि, परस्पर सदभाव, नामांकन में वृद्धि, विद्यार्थियों का विद्यालय ठहराव एवं लिंग धर्म व जाति आधारित असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिले में मिड–डे मील योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को पौष्टिक, उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म एवं ताजा भोजन उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न के रख–रखाव, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ–सफाई के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के पत्रों द्वारा समय समय पर जारी किये गए हैं।

उल्लेखनीय है कि आरटीई 2009 पार्ट–2 के बिन्दु संख्या V(i) School Management Committee के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति को मिड–डे मील योजना के संचालन का दायित्व दिया गया है। विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) में अधिकांश सदस्य स्थानीय निवासी होते है तथा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सामान्यतः निकटवर्ती क्षेत्र के ही होते है। विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का विद्यार्थियों से जुडाव होने के कारण मिड–डे मील योजना का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाये और यह प्रयास किया जाये कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महती भूमिका हो। निम्न निर्देशों की पालना करने के लिए भी. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाये :–

1. पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले दो बडे व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रुप से चखा जाये जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाये और इसका इन्द्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाये, ताकि यह सुनिश्चिता हो सकें कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले दो व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतः सुरक्षित हैं। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिये किसी एक अध्यापक को उत्तरदायित्व दिया जायें।

Signature valid
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.15 17:01:35 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड–डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

2. प्रत्येक विद्यालय में मिड डे मील के क्रियान्वयन के पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण किये जाये। इन निरीक्षण रिपोर्टों की जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जाये और उसके आधार पर पाई गई कमियों एवं समस्याओं का तुरन्त निराकरण किया जाये जिससे मिड–डे मील योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

(विश्व मोहन शर्मा),
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जिला समस्त।**
2. **ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।**
3. **रक्षित पत्रावली।**

EDU NEWS GROUP
EGURUKULRAJASTHAN

आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.15 17:01:35 IST
Reason: Approved

पता :– उपहार कॉम्पलेक्स भवानी सिंह रोड, 22 गोदाम, जयपुर सम्पर्क : 0141 – 2701960, 2701694 (टेली / [illegible])
ई–मेल mdm-rj@nic.in, rajmdm@rediffmail.com

RajKaj Ref No.: 17768888